सं0सं0–9 / आ0–05–12 / 2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डॉ० अमरेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागॉव, सोनपुर, सारण के विरूद्ध औचक निरीक्षण के दौरान कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं मरीजों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने एवं राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त रहने** जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त **डॉ० कुमार** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरापों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही सचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डॉ० कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वय उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय स्वास्थ्य मत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9 / आ0–05–12 / 2024(स्वा0) 401(9) / **पटना, दिनांक :** 28.4.25

प्रतिलिपि:–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

प्रतिलिपि:–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डॉ० अमरेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागॉव, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–सिविल सर्जन, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/04/2025
सरकार के अवर सचिव।

21.5.25